116

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 622—दो/2009 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 06—03—2009 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना के प्रकरण क्रमांक 93/2007—08/निगरानी

.....

रामशरन पुत्र छक्कू,
निवासी— ग्राम खरिका, तहसील— अटेर,
जिला—भिण्ड, (म0प्र0)

..... आवेदक

विरूद्ध

1— लज्जाराम
2— सरनाम, पुत्रगण सुखराम
3— मुस0 दुलारी बेवा पातीराम
4— चिमन सिंह,
5— भूवती, पुत्रगण पातीराम
6— शांतिबाई बेवा भोगीराम
7— राजीव नावालिग पुत्र भोगीराम सरपरस्त शांतिबाई, समस्त निवासीगण— ग्राम खरिका, तहसील— अटेर, जिला—भिण्ड, (म0प्र0)
8— महेन्द्र सिंह
9— कोमल सिंह
10— फते सिंह, पुत्रगण रामप्रसाद निवासीगण— ग्राम बलारपुरा, तहसील— अटेर, जिला—भिण्ड, (म0प्र0)

..... अनावेदकगण

.....

श्री एस0के0 अवस्थी, अभिभाषक, आवेदक
अनावेदकगण एक पक्षीय है

.....

आदेश

(आज दिनांक 15-11-2016 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 06–03–2009 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक रामशरन पुत्र छक्कूमाल, निवासी ग्राम खरिका ने ग्राम खरिका स्थित संयुक्त खाता कुल किता 7 रकबा 3.02 है. एवं दूसरे संयुक्त खाता कुल किता 25 रकबा 3.97 है. का मुताबिक धरू बटवारा करने बावत आवेदन पत्र विचारण न्यायालय तहसीलदार, अटेर के समक्ष प्रस्तुत किया। तहसीलदार अटेर ने अपने प्रकरण क्रमांक 14/2001–02/अ–27 में पारित आदेश दिनांक 11.11.2002 को मौजा पटवारी द्वारा प्रस्तुत फर्द मुताबिक विवादित भूमि का बटवारा स्वीकार किया। उक्त आदेश से दुखी होकर अनावेदकगण द्वारा अपील अनुविभागीय अधिकारी, अटेर के समक्ष किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी, अटेर द्वारा अपने प्रकरण क्रमांक 08/2002–03/अ.मा. में पारित आदेश दिनांक 14.02.2003 को अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण प्रत्यावर्तित कर दिया । अनुविभागीय अधिकारी, अटेर के उक्त आदेश से पारिवेदित होकर आवेदक ने अपर कलेक्टर, जिला–भिण्ड के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की, जो प्रकरण क्रमांक 40/2002–03/ निगरानी में दर्ज किया जाकर दिनांक 31.01.2008 को निरस्त हुई । अपर कलेक्टर, जिला–भिण्ड के आलोच्य आदेश से व्यथित होकर आवेदक द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष द्वितीय निगरानी प्रस्तुत की गई, जो प्रकरण क्रमांक 93/2007–08/निगरानी पर दर्ज किया जाकर पारित आदेश दिनांक 06–03–2009 द्वारा निगरानी निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि अपर आयुक्त और अपर कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारी के प्रत्यावर्तन आदेश को स्थिर रखने में त्रुटि की है। उभयपक्ष के मध्य पूर्व में घरू बटवारा हो चुका था तथा इसी घरू बटवारे के आधार पर वर्तमान बटवारे का प्रकरण प्रारंभिक न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। घरू बटवारा साक्ष्य से सिद्ध किया गया है। ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी ने जिन आधारों पर प्रकरण प्रत्यावर्तित किया है वे मान्य किये जाने योग्य है। निगरानी न्यायालयों के आदेश की परिभाषा में नहीं आते है, क्योंकि वह स्वयं बोलते हुये आदेश नहीं है। जमीन की किस्म एवं समान भाग की आपत्ति घरू बटवारे में नहीं उठाई जा सकती है। विशेषकर जब पूर्व में घरू बटवारा

होना सिद्ध हो। ऐसी स्थिति में प्रकरण प्रत्यावर्तित किया जाना न्यायोचित नहीं है। जब अनुविभगीय अधिकारी के समक्ष अपील में भी घरू बटवारे के अनुसार निर्णय हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किये जाने की प्रार्थना की गई है, तथा घरू बटवारा होना प्रारंभिक न्यायालय में सिद्ध किया गया है तब अन्य आधारों पर प्रकरण प्रत्यावर्तित किये जाने का कोई औचित्य न था। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित किये गये आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित आदेशों को निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किया जावे।

4/ अनावेदकगण को रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचना भेजी गई, परन्तु कोई उपस्थित नहीं। अतः उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जा सकती है।

5/ मेरे द्वारा आवेदक के अभिभाषक के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अवलोकन करने पर पाया गया कि आवेदक ने ग्राम खरिका स्थित संयुक्त खाता क्र0 126 कुल किता 7 रकबा 3.02 तथा खाता क्रमांक 127 कुल किता 25 रकबा 3.97 है0 के बटवारा हेतु इस आशय का एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि मौके पर सभी पक्षकार अपने–अपने हिस्से पर काबिज है। सरकारी दस्तावेज में बटवारा किया जावे। इस पर तहसीलदार अटेर ने प्रकरण क्रमांक 14/2001–02/अ–2 दर्ज कर इश्तहार जारी किया तथा अनावेदकगणों को नोटिस जारी किये। इसी दौरान अनावेदक क्र0 1 लज्जाराम ने दो आपत्तियां प्रस्तुत की एक पक्षकारों के असंयोजन की और दूसरी मौजा पटवारी द्वारा बनाई गई फर्दों के विरूद्ध । तहसीलदार अटेर द्वारा असंयोजन का आवेदन निराकरण कर दिया और फर्दों पर की गई आपत्ति निरस्त कर दी गई, जिसके विरूद्ध अपील किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी, अटेर ने अपने प्रकरण क्र0 08/2002–03/अ.मा. में पारित आदेश दिनांक 14.02.2003 को तहसीलदार अटेर का आदेश निरस्त कर प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर जमीन की किस्म उपजाऊपन के आधार पर प्रकरण का निराकरण करने के लिये प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में कोई वैधानिक भूल नहीं की। जिसके विरूद्ध अपर कलेक्टर, भिण्ड द्वारा भी यही पाया गया कि अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का निराकरण तहसीलदार अटेर द्वारा किया जाना चाहिये और अनुविभागीय अधिकारी, अटेर का आलाच्य आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना के समक्ष द्वितीय निगरानी प्रस्तुत की । अपर आयुक्त चम्बल ने अपने प्रकरण क्रमांक 93/2007–08/निगरानी में पारित आदेश दिनांक

06–03–2009 द्वारा अपर कलेक्टर, भिण्ड के आदेश दिनांक 31.01.2008 को यथावत रखा है तथा निगरानी निरस्त की है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचा हूँ कि अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना का आलोच्य आदेश दिनांक 06–03–2009 विधिसम्मत है, जिसमें किसी तरह के हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। अतः अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 06–03–2009 विधिनुकूल होने से स्थिर रखा जाता है। फलतः आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी आधारहीन एवं सारहीन होने से निरस्त की जाती है। तत्पश्चात पक्षकार सूचित हो। प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर